हम लोग अपनी जायदाद लेकर गए थे, इसके बावजूद मजिस्ट्रेट ने श्री बागड़ी को नहीं छोड़ा आपने यह कहा था कि आप देखेंगे कि कहां तक उन्होंने अपनी शक्ति का दुरूपयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं मैजिस्ट्रेट की डिस्क्रीशन और एक्सरसाइज आफ़ पावर के बारे में कोई जजमेंट या फ़ैसला नहीं दे सकता हूं। कोर्ट में जो भी जाता है, वह बतौर एक सिटीज़न जाता है। मैजिस्ट्रेट क्या करता है, मैं उसके बारे में कोई दखल नहीं दे सकता हूं। आपने जो लिखा था, वह मैंने होम मिनिस्टर साहब को लिख दिया था। होम मिनिस्टर साहब की तरफ़ से जो जवाब आया, उसकी इत्तिला भी मैंने आपको दे दी थी।

श्री मौर्य : मैजिस्ट्रेट द्वारा पार्लियामेंट के मैम्बर्ज के एफ़ेडेविट पर शक किया जाता है।

13.33 hrs.

POINT OF PERSONAL EXPLANATION—*contd.*

The Minister of Defence (Shri Swaran Singh): Sir, when I was not present in the House, Dr. Lohia made some statement about Appeejay Shipping Lines. I was food Minister from August 1963 to July 1964. Whatever may be the lapses of my department or my subordinates, I am responsible as Minister; I am not running away from it. But I was pained to see that he did not confine himself to the lapses of the department and their shortcomings, but in a very vague manner he made the allegations and clubbed me saying from patwari up to Mr. Patil and Mr. Swaran Singh, they are guilty of accepting illegal gratification. This type of statement was aboslutely unjustified. It is unfortunate that he should have made such a statement and in that vague manner.

I was surprised—I do not know whether you are expunging that remark or not—that on an earlier occasion somebody said that Rs. 7 lakhs had been taken for some Congress fund and today somebody says that Rs. 75,000 had been paid to me. This amount goes on shrinking or increasing according to the whims and desires of these hon. Members.

Shri Maurya: You can give the correct figure.

Shri Swaran Singh: I would like to say that I have been serving this House for the last 15 years. These matters which are 3 or 4 years old are bandied about at the fag end of the session when we are going to the polls. It is most unfortunate that incorrect allegations should have been made. I strongly repudiate them as absolutely unfounded and without any basis.

श्री मधु लिमये : मंत्री महोदय ने कहा है कि इस सत्र के अन्त में और चुनाव से पहले इस प्रकार के मामले उठाए जा रहे हैं,लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि अमीचन्द प्यारेलाल और इस्पात मंत्रालय का मामला तो पिछले सत्र से चल रहा है।

डा० राम मनोहर लोहिया : ये लोग हमेशा कह दिया करते हैं कि बिना किसी तफ़सील के यहां आरोप लगा दिये जाते हैं। जब वह अन्न मंत्री थे, उस वक्त क्या . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं इस वक्त और नये आरोप लगाने के लिए मौका नहीं दे सकता

(*Interruptions.*)

श्री मधु लिमये : लेकिन आपने अमीचन्द प्यारेलाल के दोस्तों को मौका क्यों दिया सफाई देने का ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य ने आरोप लगाए और मिनिस्टर साहब ने उनसे इन्कार किया। अब जजमेंट करना इस हाउस का काम है।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब सरदार स्वर्ण सिंह खाद्य मंत्री थे, तो एक जहाज से एक हजार टन चावल गायब हुआ ।

श्री राधेलाल व्यास : पायंट आफ़ आर्डर ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, मैं बोल रहा हूं । मेरा पायंट आफ़ आर्डर नहीं है और इनका हो गया ? आप किस तरह लोक सभा को चला रहे हैं ? आप मेरा व्यवस्था का प्रश्न सुनिये ।

श्री राधेलाल व्यास : मैं रूल 356 के तहत अपना पायंट आफ आर्डर उठा रहा हूं । श्री दीक्षित ने इसको और आपको ध्यान आकर्षित किया था ।

श्री मधु लिमये : फिर माननीय सदस्य क्यों दोहरा रहे हैं ?

श्री राधेलाल व्यास : रूल 352 में कहा गया है :

> "A member while speaking shall not—make a personal charge against a member",

वह मेंडेटरी है । इस रूल के सब-रूल (7) में कहा गया है :

> "utter treasonable, seditious or defamatory words"

अभी इस सदन में इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया, "कल का छोकरा" "चोर", "दो कौड़ी का आदमी ।" मेरा निवेदन है कि जिन शब्दों को इस नियम के अनुसार कहा ही नहीं जा सकता है, वे शब्द यहां पर कहे गये हैं । नियम 380 बहुत वाइड है । उसमें कहा गया है कि अगर कोई डिफेमेटरी शब्द कहे गए हैं, तो आप उनको निकाल सकते हैं । रूल 380 इस प्रकार है :

> "If the Speaker is of opinion that words have been used in debate which are defamatory or indecent or unparliamentary or undignified . . ."

अगर इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाये, तो आप उनको एक्सपंज कर सकते हैं । मेरा नम्र निवेदन यह है कि यहां पर तीन, चार, पांच सदस्य खड़े हो कर इस तरह चिल्लाते हैं, जैसे बाजार में लड़ाई भी नहीं होती होगी । आप पर यह दबाव डाला जाता है कि आप नियमों के अनुसार नहीं चलते हैं ।लेकिन जो सदस्य इस प्रकार का दबाव डालते हैं, वही सारा फ़ायदा उठाते हैं नियमों का उल्लंघन करके, नियमों के खिलाफ़ भाषण करके और बगैर आपकी इजाजत के बोल कर । रोज़ाना इस सदन में डेढ़ दो घंटे का समय इस प्रकार चला जाता है । मेरा निवेदन है कि आप इन प्रोसीडिंग्ज को देखें और इन नियमों के अनुसार सब इनडिसेंट, अनडिग्नीफ़ाइड, अनपार्लियामेंटरी और डीफ़ेमेटरी शब्दों को निकाल दीजिए और नियमों का पालन सख्ती से कराया जाये ।

श्री बागड़ी : अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । मैं इसी सदन में एक शब्द कहने की बिना पर सज़ा भुगत चुका हूं । मैंने यह कहा था कि यह लोक सभा है, यह मुग़ल दरबार नहीं है । दरबार और इस सदन का मुकाबला कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन मुझे यह शब्द कहने पर सज़ा मिली । माननीय सदस्य ने, जो कांग्रेसी हैं, यह कहा है कि "क्या यह कोई बाज़ार है" ? अगर कोई सदस्य इस सदन का बाजार से मुकाबला करे, तो उसके खिलाफ कार्यवाही न हो और अगर मुग़ल दरबार की बात कही जाये, तो उस पर कार्यवाही हो, मैं इस बारे में आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : मेरी व्यवस्था यह है कि कहने में कोई हर्ज नहीं है कि यह बाजार नहीं है ।

श्री बागड़ी : मैं कहना चाहता हूं कि बाजार से मुकाबला करना इस सदन का अपमान है ।

अध्यक्ष महोदय : यह बाजार नहीं है, यह उन्होंने कहा है ।

डा० राम मनोहर लोहिया : अध्यक्ष महोदय, आप मेहरबानी करके नियम 357 देखें जिस पर कि आपने सरदार स्वर्ण सिंह को बोलने का मौका दिया । उसमें लिखा है :

"In this case no debatable matter may be brought forward and no debate shall arise."

तो यह बिल्कुल साफ बात है कि उन्होंने यहां पर विवादास्पद बातें उठाई जब आपने इनको मौका दिया और मैं इसी तरीके से . . .

अध्यक्ष महोदय : कोई विवाद की बात उन्होंने बिल्कुल नहीं उठाई । सिर्फ इनकार किया ।

डा० राम मनोहर लोहिया : जब कि मैं कल साफ कह चुका हूं कि सिर्फ एक ही जहाज पर एक हजार टन चावल गायब हुआ और यह मैं नहीं कह चुका हूं आपके कागज कह रहे हैं जो कागज आपने हमको दिए अपने दफ्तर से उन कागजों में है कि 24–5–64 को जब यह अन्न मंत्री थे तब राजीव नाम के जहाज पर चावल आना था 6987 टन और आया 6004 टन । यानी 983 टन चावल गायब । 983 टन का मतलब हुआ 980 हजार जिसके मानी होते हैं चार पांच लाख रुपये सिर्फ एक जहाज का यह है और ऐसे पचासों जहाजों से गायब हैं तो ऐसी हालत में जब इस तरह की बहस हो तो उसको किसी नतीजे पर कहीं तो आप पहुंचायें वरना यहां पर बहस करने का नतीजा क्या होगा ? मंत्री यह सब काम करते रहेंगे । हम मेहनत करके यह सब पता लगायेंगे और यहां रखेंगे तो मंत्री आकर कह देंगे कि यह बात गलत है, बिना तफसील के है, झूठ है तो इसका कहीं कोई नतीजा तो निकलना चाहिए । मैं चार महीने से आपके सामने यह सवाल रख रहा हूं । पहला दस्तावेज जो सदन पटल पर यहां रखा गया था वह सितम्बर महीने में रखा गया था आपके सामने और फिर उसके बाद एक यह कागज आपके पास एक महीने से है । यह सारे कागज आपके पास हैं । इनके होते हुए आप हमारे ऊपर निरर्थक ढंग से यह आरोप लगाने देते हैं कि हम यह आरोप कहीं अपने घर में बैठे हुए लगा देते हैं . . .

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, मैंने सुन लिया । आप इतने अरसे से रख रहे हैं मगर मैं उसकी बहस तो नहीं छेड़ सकता । आप और कोई दें और उसमें बाकायदा तौर पर हो तो बहस हाउस सुन सकता है, उस पर मैं तो फैसला नहीं दे सकता हूं । आप यह चाहते हैं कि आप आरोप लगायें तो किसी को इतना कहने का भी हक नहो कि यह गलत है? वह सिर्फ मान जाये और खामोश बैठा रहे ? मैं इससे इत्तफाक नहीं करता ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मंत्री से कहिये कि राजीव के बारे में बतलायें . . . (**व्यवधान**) . . . यह सब तफसील के आरोप इनके ऊपर हैं . . . (**व्यवधान**)

13.43 hrs.

STATEMENT RE. RECENT LEGISLATION IN NEPAL AFFECTING RIGHTS OF INDIANS

The Minister of State in the Ministry of External Affairs (Shri Dinesh Singh): Sir, I beg to lay on the Table a Statement on the recent legislation in Nepal affecting rights of Indians. [*Placed in Library. See* No. LT-7497/66].

Shri Joachim Alva (Kanara): Sir, you promised to call me.

Mr. Speaker: Yes, what is his point of order?